राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित भवन" जनपथ, जयपुर–302015

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– एफ.3 (ख)/पदस्थापन/2016–17/अलेसे–II/ 1142 दिनांकः–25/01/2018

परिपत्र

यह जानकारी में आया है कि विभाग की ओर से दिनांक 24.12.2017 को जारी स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों को सक्षम अधिकारी से जारी नहीं माना जाकर कतिपय कार्मिकों द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में प्रकरण प्रस्तुत किये गये हैं। इन प्रकरणों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा अधिकरण में नियमानुसार पक्ष रखा जाकर समुचित विधिक कार्रवाई की जा रही है, तथापि इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के संशय की सम्भावना को निर्मूल करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के द्वारा दिनांक 24.12.2017 को जारी स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय (सक्षम स्तर) की आई.डी. संख्या एफ. 17004335 से प्राप्त सक्षम अनुमोदन के अनुसरण में वित्त (राजस्व) विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ.3(ख)/पदस्थापन/2016–17 अलेसे–II/ दिनांक 24.12.2017 के माध्यम से जारी स्वीकृति की पालना में ही जारी किये गये हैं।

अतः उपर्युक्त के आधार पर इस विभाग द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के सम्बन्ध में विभाग के अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I) के हस्ताक्षरों से जारी आदेश संख्या 2017–18/264 दिनांक 24.12.17, अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II) के हस्ताक्षरों से जारी आदेश संख्या 2017–18/265 से 272 दिनांक 24.12.17 एवं अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III) के हस्ताक्षरों से जारी आदेश संख्या 2017–18/263 दिनांक 24.12.2017 को सक्षम अनुमोदन के उपरान्त अधोहस्ताक्षरकर्ता की ओर से ही जारी किया हुआ माना जावे। इस सम्बन्ध में यदि अब भी किसी भी प्रकार का संशय/अस्पष्टता किसी भी कार्मिक को रहती है तो सम्बन्धित कार्मिक इस विभाग को नियमानुसार अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि उस बिन्दु का समुचित निराकरण किया जा सके।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.3 (ख)/पदस्थापन/2016–17/अलेसे–II/ 1142 दिनांकः– 25/01/2018
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
4. समस्त कोषाधिकारी।
5. अतिरिक्त/सयुंक्त निदेशक (कार्मिक– प्रथम/द्वितीय/तृतीय)।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
7. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हेतु।
8. समस्त कार्मिक, राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा।
9. रक्षित पत्रावली।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)